निग/2877/II/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर,

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

केदार प्रसाद श्रीवास्तव तनय स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, उम्र 76 वर्ष, पेशा पेन्शनर/खेती निवासी ग्राम बदवार, तह. गुढ, जिला रीवा म0प्र0

.....निगरानीकर्ता

बनाम

बद्री प्रसाद श्रीवास्तव तनय रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, उम्र 78 वर्ष, पेशा पेन्सनर व खेती निवासी गाम बदवार, तह. गुढ़, जिला रीवा हाल पता मकान नं. 28/319 ई.सी.आई. स्कूल के बगल में, व्यंकट बटालियन रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार गुढ़, जिला रीवा के प्र. क्रं. 19/अ–70/13–14 आदेश दिनांक 24–07–15

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 रा0 संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न तथ्यों के आधार पर निगरानी संस्थित की जा रही है:7

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता सगे भाई है पैत्रिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ जबकि पिता जी अपने जीवनकाल में ही समस्त पैत्रिक भूमियों का उभयपक्ष के मध्य पंजीकृत बंटवारा दिनांक 24–09–94 को किया था, जिसमें तीनों भाईयों के कृषि भूमि व आबादी भूमि अलग अलग थी। पुरानी

आवेदक- श्री केदार प्रसाद श्रीवास्तव ।

XXXIX(a)-BR(H)-11

(62)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-4877/III/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	केदार प्रसाद श्रीवास्तव / बद्रीप्रसाद श्रीवास्तव कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-9-15	प्रकरण में आवेदक श्री केदार प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा स्वयं उपस्थित हो कर निगरानी प्रस्तुत की गई। प्रकरण में आवेदक को सुना गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक एवं अनावेदक दोनों सगे भाई हैं जिनके मध्य पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में विवाद है जबकि विवादित पैतृक संपत्तियों का बटवारा पिता जी के जीवन काल में ही उभयपक्ष के मध्य पंजीकृत बंटवारा दिनांक-24-9-94 को हो गया था। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि पंजीकृत बटवारा के आधार पर आवेदक एवं उसके छोटे भाई श्री जगन्नाथ द्वारा नामांतरण का आवेदन जब तह० न्यायालय में पूर्व में प्रस्तुत किया था तब भी अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जो खारिज की गई थी। जिसके विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल तक अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने का तर्क दिया जो, सिविल न्याया० के आदेशानुसार कार्यवाही करने के निर्देश के साथ निराकृत करना बताया गया है। प्रकरण एवं निगरानी मेमो तथा उसके संलग्न नायब तह० तहसील गुढ़ के रा०नि० हेमन्त कुमार द्वारा जारी आदेश दिनांक-24-7-15 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रकरण वर्तमान में तहसील न्यायालय में प्रचलित होकर प्रकरण आवेदक जो (तहसील न्यायालय में अनावेदक है) के साक्ष्य हेतु नियत है। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 24-7-2015 से किसी पक्ष के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का भी पूरा-पूरा अवसर प्राप्त है।	

[क्. प. उ.

R. 2877-II/15

स्थान तथा दिनांक	केदार प्रसाद / बद्री प्रसाद कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में तहसीलदार के आदेश दिनांक 25-7-2015 जो अंतरिम आदेश है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष अपना-अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखें तथा अधीनस्थ न्यायालय भी उभयपक्षों को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.